रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 4 मई, 1985/14 वैशाख, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th April, 1985

No. 3-26/84-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that there is an Industrial Dispute between Shri Krishan Lal, Electrician and the Managing Director, Himachal Steel Rolling Mills (Pvt.) Ltd., G.T. Road, Village Toki, P.O. Kandrori, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh.

And whereas after considering the report of the Conciliation Officer, Dharamshala under section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that this matter may be referred to the Himachal Pradesh Industrial Tribunal, Shimla for adjudication.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh is exercise of the powers vested in him under section 12 (5) read with section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this matter to the Himachal Pradesh Industrial Tribunal, Shimla constituted under section 7-A of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under:—

"Whether the termination of services of Shri Krishan Lal, Electrician by the Managing Director, Himachal Steel Rolling Mills (Pvt.) Ltd., G. T. Road, Village Toki, P.O. Kandrori, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh is justified and in order. If not, what relief and amount of compensation Shri Krishana Lal, Electrician is entitled to."

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*,

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 मार्च, 1985

संख्या 6-55/77-परिवहन-II.—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ क्षेत्र दिल्ली के बीच किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यतिकारी करार का प्ररूप उक्त धारा के परन्तुक की अपेक्षानुसार राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश, तारीख 16-4-1984 में समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 29-3-1984 के साथ प्रकाशित किया गया था जिस में ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और नियत अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुआ था,

अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (3-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बीच किए गए संलग्न व्यतिकारों के करार के प्ररूप को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश से,
हर्ष गुप्ता,
सचिव ।

उत्तरी फ्री ज़ोन (लोक वाहन के लिए परस्पर करार) जम्मू एवं काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों के बीच

यह करार आज 11वां दिन जुलाई, 1984 को पंजाब के राज्यपाल, प्रथम पक्षकार, हरियाणा के राज्यपाल द्वितीय पक्षकार, जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल तीसरे पक्षकार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल चतुर्थ पक्षकार और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए तथा उसकी ओर से भारत के राष्ट्रपति पांचवें पक्षकार के बीच तय पाया गया;

चूंकि दिनांक 25 मार्च, 1980 को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवे पक्षकारों के बीच हुए करार द्वारा उक्त करार में दिए हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों द्वारा और उनके बीच लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय माल परिवहन को प्रोत्साहन देने के विचार से परस्पर करार किया ;

और चूंकि उक्त करार 31 मार्च, 1983 को समाप्त हो गया, और चूंकि उक्त पांचों राज्य, उक्त करार में दिए गए निबन्धनों तथा शर्तों पर उक्त करार को चालू रखने की इच्छा से परस्पर इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि दिनांक 25 मार्च, 1980 के परस्पर करार को उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर 1 अप्रैल, 1983 से 31 अगस्त, 1983 तक 5 मास की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए, इस बात के होते हुए भी इसके द्वारा पक्षकार वही करार करें और इसका किन्हीं अन्य परस्पर करारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में से किसी द्वारा और उनके बीच भविष्य में किए जाएं।

उन उपर्युक्त पक्षकारों में निम्नानुसार सहमति हो गई है:—

(1) कि यह उत्तरी फ्री जोन करार प्रथम अप्रैल, 1983 से लागू होगा और 31 अगस्त, 1983 तक पांच मास के लिए विधिमान्य रहेगा।

(2) इसे ऐसी आगामी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है जिसके लिए इस करार के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पारस्परिक सहमति हो।

(3) विनिमयी राज्यों के परिवहन प्राधिकारी अन्य राज्यों के राज्य क्षेत्र के लिए विधिमान्य किसी भी संख्या में लोक वाहन अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

(4) इस करार के अधीन चलाये जाने वाले लोक वाहन अपने राज्यों के मार्गों पर बिना किसी पाबन्दी के चल सकेंगे जबकि अन्य राज्यों से किसी भी क्षेत्र में चलते समय विनिमयी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में समूचे तौर पर आने वाले किन्हीं दो स्थानों के बीच से माल को न तो उठायेगा अथवा न ही उतारेगा अर्थात् ऐसी स्थिति में लोक वाहन को कोई अन्तर्राज्यीय व्यापार करने की मनाही होगी।

(5) इस करार के अधीन चलने वाले सभी वाहन विनिमयी राज्यों द्वारा समय-समय पर लगाए गए पे लोड तथा व्हील बेस के सम्बन्ध में लगाए गए प्रतिबन्धों का पालन करेंगी। प्रत्येक राज्य यथा-सम्भव शीघ्र अन्य करार करने वाले राज्यों को व्हील बेस तथा पे लोड आदि के प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में अद्यतन अधिसूचना के बारे में सूचित करेगा।

(6) इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहनों में निम्नलिखित दस्तावेज हर समय उपलब्ध रहेंगे:—

(क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(ख) योग्यता प्रमाण-पत्र

(ग) बीमे का प्रमाण-पत्र

(7) इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहन की बाडी के बाईं तथा दाईं ओर सफेद रंग में वृत्ताकार डिस्क बना होगा जिसका दायरा कम से कम 30 सैंटीमीटर का होगा और डिस्क पर काले रंग में "फ्री जोन" शब्द अंकित होंगे।

(8) वाहन का लोक वाहन अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरों के बिना दूसरे राज्यों के लिये विधिमान्य नहीं होगा। अपने राज्य के परिवहन प्राधिकारी विनिमयी राज्यों के मोटर यान नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रति हस्ताक्षर करने के लिए दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारियों को सिफारिश करेंगे।

(9) विनिमयी राज्य इस करार के अनुसार चलने वाले वाहनों के सम्बन्ध में अपने राज्य के टोकन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, योग्यता प्रमाण-पत्र और बीमा प्रमाण-पत्र आदि को मान्यता देंगे।

(10) माल कर ऐसी दर पर देय होगा जो अपने राज्य में लागू हो और दूसरे राज्यों को उस पर देय होगा जो दर उस राज्य में प्रचलित हो। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में माल कर अपने राज्य द्वारा रेखित मांग ड्राफ्टों के माध्यम से अग्रिम रूप में वसूल किया जायेगा और अपने-अपने राज्यों द्वारा सम्बन्ध राज्य को भज दिया जायेगा।

(11) इस वर्ष के प्रयोजन के लिए "वर्ष" शब्द से पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला वर्ष समझा जायेगा।

(12) इस करार के प्रयोजन के लिए यहां पांच पक्षकारों में से प्रत्येक को "राज्य" समझा जायेगा।

हस्ताक्षरित,

सचिव, पंजाब सरकार
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़।

हस्ताक्षरित,

सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़।

हस्ताक्षरित,
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
परिवहन विभाग, शिमला।

हस्ताक्षरित,
सचिव, जम्मू तथा काश्मीर सरकार,
परिवहन विभाग, श्रीनगर।

हस्ताक्षरित,

विशेष सचिव (परिवहन),
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

उत्तरी फ्री जोन (लोक वाहन के लिए परस्पर करार) जम्मू एवं काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों के बीच

यह करार आज 11वां दिन जुलाई, 1984 को, पंजाब के राज्यपाल प्रथम पक्षकार, हरियाणा के राज्यपाल द्वितीय पक्षकार, जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल तीसरे पक्षकार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल चतुर्थ पक्षकार, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए तथा उसकी ओर से भारत के राष्ट्रपति पांचवें पक्षकार के बीच तय पाया गया।

चूंकि दिनांक 11 जुलाई, 1984 को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें पक्षकारों के बीच हुए करार द्वारा उक्त पक्षकारों ने उक्त करार में दिए हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों द्वारा और उनके बीच लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय माल परिवहन को प्रोत्साहन देने के विचार से परस्पर करार किया।

और चूंकि उक्त करार 31 अगस्त, 1983 को समाप्त हो गया, और चूंकि परस्पर करार द्वारा इसके पक्षकारों में उक्त करार दिनांक 11 जुलाई, 1984 के निबन्धनों तथा शर्तों को उपांतरित करने के लिए सहमति हो गई है और उन्होंने विद्यमान करार के आंशिक उपान्तरण में इसमें यहां पर दिया गया करार करने का निश्चय किया है।

अब उपर्युक्त पक्षकारों में निम्नानुसार सहमति हो गई है:—

(1) कि यह उत्तरी फ्री जोन करार प्रथम सितम्बर, 1983 से लागू होगा और 31 मार्च, 1987 तक विधिमान्य रहेगा।

(2) इसे ऐसी आगामी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है जिसके लिए इस करार के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा परस्पर सहमति हो।

(3) विनिमयी राज्यों के परिवहन प्राधिकारी अन्य राज्यों के क्षेत्रों के लिए विधिमान्य किसी भी संख्या में लोक वाहन अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

(4) इस करार के अधीन चलाये जाने वाले लोक वाहन अपने राज्य के मार्गों पर बिना किसी पाबन्दी के चल सकेंगे। जब कि अन्य राज्यों में किसी भी क्षेत्र में चलते समय विनियमयी राज्य के अधिकार क्षेत्र में समूच तौर पर अपने किन्हीं दो स्थानों के बीच में माल को न तो उठायेगा अथवा न ही उतारेगा अर्थात् ऐसी स्थिति में लोक वाहन का कोई अन्तर्राज्यीय व्यापार करने की मनाही होगी।

(5) कोई भी वाहन इस करार के अधीन प्राधिकृत नहीं किया जा सकेगा जो कि प्राधिकार दिये जाने के लिए दिए गए आवेदनपत्रों की तिथि को चार वर्ष से अधिक पुराना हो और जो किसी भी समय पर 9 वर्ष से अधिक पुराना है ।

(6) इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहनों में निम्नलिखित दस्तावेज हर समय उपलब्ध रहेंगे:—
(क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र
(ख) योग्यता प्रमाण-पत्र
(ग) बीमे का प्रमाण-पत्र

(8) इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहनों की बाडी के बाईं तथा दाईं ओर सफेद रंग से वृत्ताकार डिस्क बना होगा जिसका दायरा कम से कम 30 सैंटीमीटर का होगा और डिस्क में "फ्री जोन" शब्द अंकित होंगे ।

(9) माल कर ऐसी दर पर देय होगा जो अपने राज्य में लागू हो और दूसरे राज्यों को उस दर पर देय होगा जो दर उस राज्य में प्रचलित हो ।
अन्य राज्यों के सम्बन्ध में माल कर अपने राज्य द्वारा रेखित मांग ड्राफ्टों के माध्यम से अग्रिम रूप में वसूल किया जायेगा और अपने राज्यों द्वारा सम्बद्ध राज्यों को भेज दिया जायेगा ।

(10) सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्य धारा 63(1) के साथ पठित धारा 68(2) (जज) के अधीन यह उपबन्धित करने के लिए उपयुक्त नियम बनायेंगे कि इस प्रकार दिया गया संयुक्त अनुज्ञापत्र दूसरे हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के क्षेत्रों में प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होगा ।

(11) विशेष करार के अधीन जारी प्राधिकार के अधीन चलने वाले वाहन को सहायक निरीक्षक, मोटर यान या उप-निरीक्षक पुलिस की पदवी के अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसकी पदवी से हस्ताक्षरकर्ता राज्य परस्पर सहमत हों, इस करार के उपबन्धनों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए रोका जा सकता है और इसका निरीक्षण किया जा सकता है । ऐसा निरीक्षण अधिकारी तीन प्रतियों में एक जांच रिपोर्ट करेगा जिसकी एक प्रति वाहन के कार्यभारी व्यक्ति को दी जायेगी और दूसरी प्रति अपने राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकारी को भेजी जायेगी। जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर अपने राज्य का सक्षम परिवहन प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उचित समझे ।

(12) इस करार के प्रयोजन के लिए "वर्ष" शब्द को "वित्त वर्ष" समझा जायेगा ।

(13) इस करार के प्रयोजन के लिए इसके पांच पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को एक "राज्य" के रूप में समझा जायेगा ।

हस्ताक्षरित,
सचिव पंजाब सरकार,
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ ।

हस्ताक्षरित,
सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ ।

हस्ताक्षरित,
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
परिवहन विभाग, शिमला ।

हस्ताक्षरित,
सचिव, जम्मू तथा काश्मीर सरकार,
परिवहन विभाग, श्रीनगर ।

हस्ताक्षरित,
विशेष सचिव (परिवहन),
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. 6-55/77-TPT Vol. II, dated 21-3-1985 as required under clause 3 of Artlcle 348 of the Constitution is hereby published for the general information of the public*].

Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3-A) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939, a draft of the Reciprocal Agreement proposed to be entered into by the Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh States and Union territory of Delhi. was published vide this Department notification of even number, dated 29-3-1984, inviting objections/suggestions from the persons likely to be affected thereby, as required by proviso to the aforesaid section, in Himachal Pradesh Rajpatra, (Extra-ordinary), dated 16-4-1984.

And whereas no objection/suggestion has been received from any person within the period specified for the purpose.

Now. therefore, in ex rcise of the pow rs conferred by sub-section (3-B) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (Act No. 4 of 1939), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the draft of reciprocal agreement in the H. P. Rajpatra entered into by the Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Union territory of Delhi, namely.....

.....Reciprocal Agreement.....

By order,
HARSH GUPTA,
Secretary.

NORTH FREE ZONE RECIPROCAL AGREEMENT FOR PUBLIC CARRIERS BETWEEN THE STATES OF JAMMU AND KASHMIR, PUNJAB, HARYANA, HIMACHAL PRADESH AND DELHI

This Agreement made this 11th day of July, one thousand nine hundred and eighty-four between the Governor of Punjab of the First Part, the Governor of Haryana of the Second Part, the Governor of Jammu and Kashmir of the Third Part, the Governor of Himachal Pradesh of the Fourth Part and the President of India for and on behalf of the Union territory of Delhi of the Fifth Part.

Whereas by an agreement dated 25-3-1980 between the Parties of the First, Second, Third, Fourth and Fifth parts, the said Parties entered into a Reciprocal Agreement with a view to encourage long distance inter-State Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Delhi on the terms and conditions in the said Agreement contained,

And whereas the said Agreement expired on 31st March, 1983.

Whereas the said five States, being desirous of continuing the said Agreement on the terms and conditions in the said Agreement contained, mutually agreed between themselves to extend the reciprocal agreement dated 25-3-1980 for a further period of five months on the same terms and conditions from 1-4-1983 to 31-8-1983 and the Parties hereby recording the same, notwithstanding and without prejudice to any other reciprocal agreements which night be entered in future by and between any of the signatory States.

It is now agreed between the above Parties as follows:—

(*i*) That this North Free Zone Agreement shall come into force from the first day of April, 1983 and shall remain valid for a period of five months i.e. upto 31st August, 1983.

(*ii*) It may be renewed for such further period as may be mutually agreed to by all the signatories to this Agreement.

(*iii*) The Transport authorities of the reciprocating States shall issue any number of Public Carrier permits valid for the territory of the other States.

(*iv*) Public Carrier operating under this Agreement shall be free to operate without restriction of routes in the Home States whereas while operating in any area in the other State, it shall not pick up or set down goods between any two p ints lying wholly within the

jurisdiction of reciprocating States i.e., in such case Public Carrier shall be prohibited from carrying on any inter-State Agreement.

(*v*) All vehicles operating under this Agreement shall comply with the restrictions regarding pay load and wheel base imposed from time to time by the respective States. Each State will intimate to the other participating States, as soon as possible, the latest notification regarding restrictions of wheel base and pay load etc.

(*vi*) The Public Carriers plying under this Agreement shall at all times carry—

(*a*) Certificate of registration.
(*b*) Certificate of fitness.
(*c*) Certificate of insurance.

(*vii*) The Public Carriers plying under this Agreement shall be painted on left and right side of the body with a white circular disc of not less than 30 cm in diameter with words "Free Zone" in black written on the disc.

(*viii*) The Public Carrier permit covering the vehicle shall not be valid for the other State without counter-signatures. The Transport Authorities of home State will recommend to the Transport Authorities of other States for allowing countersignatures as per provisions of the Motor Vehicles Rules of the reciprocating States.

(*ix*) The reciprocating States shall accord recognition to the token, registration certificate, certificate of fitness and certificate of insurance etc. of the Home State in respect of vehicle plying in accordance with this Agreement.

(*x*) The goods tax shall be payable at such rate as is applicable in the home State and to the other States at the rate prevailing in that State. The goods tax shall be realised in advance by the home State in respect of other States through crossed demand drafts and shall be remitted by the home State to the concerned States.

(*xi*) For the purpose of this year, the term "year" shall be deemed to be the year commencing from 1st April.

(*xii*) For the purpose of this Agreement, each of the five Parties hereto shall be demed to be a "State".

Sd/-
RAJINDER SINGH,
Secretary to the Government of Punjab,
Transport Department, Chandigarh.

Sd/-
L. C. GUPTA,
Secretary to the Government of Haryana,
Transport Department, Chandigarh.

Sd/-
HARSH GUPTA,
Secretary to the Government of Himachal Pradesh,
Transport Department, Shimla.

Sd/-
Z. L. ZALPURI,
Deputy Secretary to the Government of Jammu & Kashmir,
Transport Department, Srinagar.

Sd/-
R. M. VATS,
Secretary Transport,
Delhi Administration, Delhi.

NORTH FREE ZONE RECIPROCAL AGREEMENT FOR PUBLIC CARRIERS BETWEEN THE STATES OF JAMMU AND KASHMIR, PUNJAB, HARYANA, HIMACHAL PRADESH AND DELHI

This Agreement made this 11th day of July, 1984 (One thousand nine hundred and eighty-four) between the Governor of Punjab of the First Part, the Governor of Haryana of the Second Part, the Governor of Jammu and Kashmir of the Third Part, the Governor of Himachal Pradesh of the Fourth Part and the President of India for and on behalf of the Union territory of Delhi of the Fifth Part.

Whereas by an Agreement dated 11-7-1984 between the parties of the First, Second, Third, Fourth and Fifth parts, the said parties entered into a Reciprocal Agreement with a view to encourage long distance inter-State transport of goods by and between the State of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Delhi on the terms and conditions in the said Agreement contained.

And whereas the said Agreement expired on 31-8-1983.

And whereas by mutual Agreement, the parties hereto have agreed to modify the terms and conditions of the said Agreement dated 11-7-1984 and have decided to enter into an Agreement as herein contained in partial modification of the existing Agreement.

It is now agreed between the above parties as follows:

(*i*) That this North Free Zone Agreement shall come into force from the first day of September, 1983 and shall remain valid upto 31st March, 1987.

(*ii*) It may be renewed for such further period as may be mutually agreed to by all the signatories to this Agreement.

(*iii*) The Transport authorities of the reciprocating States shall issue any number of Public Carrier Permits valid for the territory of the other States.

(*iv*) A public carrier operating under the Agreement shall be free to operate without restriction of routes in the home States whereas while operating in any areas in the other States, it shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of reciprocal State i.e. in such case public carrier shall be prohibited from carrying on any intra-State business.

(*v*) No vehicle may be authorised under this Agreement which is more than four years old on the date of making application for grant of the authorisation and which is more than nine years old at any point of time.

(*vi*) The public carriers plying under this Agreement shall at all times carry—

(*a*) Certificate of registration.
(*b*) Certificate of fitness.
(*c*) Certificate of insurance.

(*vii*) The public carriers plying under this Agreement shall be painted on left and right side of the body with a white circular disc of not less than 30 cm. in diameter with words "Free Zone" in black written on the disc.

(*viii*) The reciprocating States shall accord recognition to the token tax, registration certificate, certificate of fitness and certificate of insurance etc. of the home State in respect of vehicle plying in accordance with this Agreement.

(*ix*) The goods tax shall be payable at such rate as is applicable in the home State and to the other States at the rate prevailing in that State. The goods tax shall be realised in advance by the home tate in respect of other States through crossed demand drafts and shall be remitted by the home State to the concerned States.

(*x*) All the signatory States shall frame a suitable rule under section 68(2) (hh) read with section 63 (1) to provide that the composite permit so granted shall be valid without countersignature, in the areas of the other signatory States.

(*xi*) A vehicle plying under authorisation issued under the Special Agreement may be stopped and inspected for the purpose of enforcement of the provisions of this Agreement by an officer of the rank of Assistant Inspector of Motor Vehicles or Sub-Inspector of Police or any other officer whose rank is mutually agreed upon by the signatory States. Such an Inspecting Officer shall issue a check report in triplicate, one copy of which shall be served on the person-in-charge of the vehicle, the second copy shall be sent to the competent transport authority of the home State and the third copy sent to the competent transport authority of the State concerned. The competent transport authority of the home State, on receipt of the check report, may take action as he may deem fit.

(*xii*) For the purpose of this year, the term 'year' shall be deemed to be a financial year.

(*xiii*) For the purpose of this Agreement, each of the five parties hereto shall be deemed to be a 'State'.

Sd/-
RAJINDER SINGH,
Secretary to the Government of Punjab,
Transport Department, Chandigarh.

Sd/-
L. C. GUPTA,
Secretary to the Government of Haryana,
Transport Department, Chandigarh.

Sd/-
HARSH GUPTA,
Secretary to the Government of Himachal Pradesh,
Transport Department, Shimla.

Sd/-
J. L. ZALPURI,
Deputy Secretary to the Government of Jammu and Kashmir,
Transport Department, Srinagar.

Sd/-
R. M. VATS,
Secretary (Transport),
Delhi Administration, Delhi.

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th April, 1985

No. Fin (C)-B (1)-5/85.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh in pleased to make in following rules to amend the Himachal Pradesh Financial Rules, Vol. I, 1971 published *vide* notification No. 15/4/1971 (R&E-I) dated 10th May, 1971 in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 15th July, 1971 as under:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Financial (First Amendment) Rules Vol. I, 1985.

(2) These shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of rule* 7.1 *of Chapter VII.*—(1) In rule 7.1 of Himachal Pradesh Financial Rules, Vol. 1, 1971 (hereinafter called the said rules),—

(*i*) the words "See also Annexure to this chapter" occurring at the end shall be deleted;

(*ii*) after para (c) of Note-1, the following para (d) shall be inserted, namely:—

"(*d*) (1) In regard to the date of birth a declaration of age made at the time of or for the purpose of entry into Government service, shall as against the Government servant in question, be deemed to be conclusive unless he applies for correction of his age as recorded within 2 years from the date of his entry into Government service. Government, however, reserves the right to make a correction in the recorded age of the Government servant at any time against the interest of that Government servant when it is satisfied that the age recorded in his service book or in the history of services of a gazetted Government servant is incorrect and has been incrurectly recorded with the object that the Government. servant may derive some unfair advantage therefrom.

(2) When a Government servant, within the period allowed, makes an applicalion the for correction of his date of birth as recorded, an inquiry shall be made to ascertain his correct age and reference, shall be made to all available sources of information such as certified copies of entries in the Municipal birth register, University or School age certificates, JANAMPATRI (horoscope) as the case may be. It should, however, be remembered that it is entirely discretionary on the part of the sanctioning authority to refuse or grant such application on being satisfied and no alteration should be allowed unless it has been satisfactorily proved that the date of birth as originally given by the applicant was a bonafide mistake and that he has-derived no unfair advantage therefrom. In case the matriculation certificate is available, the date of brith recorded in the certificate will be deemed to be the correct age.

(3) The result of every such inquiry should in the case of Gazetted/Non-Gazetted Government servants be briefly stated in their service cards/servant books and if a correction is sanctioned, the fact should be reported to the Accountant General.

(*ii*) Note-2 shall be omitted.

3. *Omtssion of Annexure.*—This existing Annexure to Chapter VII of the said rules shall be omitted

HARINDER HIRA,
Joint Secretary.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर

अधिसूचना

हमीरपुर, 11 अप्रैल, 1985

क्रमांक आपूर्ति शाखा/85-1589-1668.—पिछली समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए मिट्टी तेल मूल्य निर्धारण आदेश, 1970 की धारा 3 के अन्तर्गत, मैं, अशीष कुमार देव, जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर,

भारतीय तेल निगम पठानकोट डिपो से हमीरपुर जिले में वितरित किए जा रहे मिट्टी तेल के थोक व परचून विक्री दर निम्नलिखित स्थानों के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूं। यह अधिसूचना तुरन्त लागू होगी।

क्रमांक	स्थान का नाम	थोक दर कर रहित प्रति किलोलिटर	परचून दर प्रति लिटर कर सहित
1	2	3	4
1.	हमीरपुर	2221.78	2.46
2.	कोट/टिक्कर डिडवी/लमवलू	2227.18	2.51
3.	नदौन	2189.38	2.42
4.	भोटा	2220.16	2.46
5.	धनेटा	2226.10	2.51
6.	भरेड़ी	2262.28	2.54
7.	भोरंज/विजड़	2272.54	2.56
8.	वणी/बड़सर	2257.96	2.54
9.	भूम्पल/रंगस	2224.48	2.50
10.	वराड़ा	2263.36	2.55
11.	सुजानपुर	2230.96	2.47
12.	करोट	2230.96	2.51
13.	जाहू/टौणी देवी	2244.46	2.52
14.	जलाड़ी	2212.06	2.49
15.	मैड	2239.60	2.52
16.	अवाह देवी	2303.97	2.59
17.	चबूतरा	2226.10	2.51
18.	भिड़ा	2221.78	2.50
19.	खखाड़	2250.40	2.53
20.	कक्कड़	2303.86	2.59
21.	बड़ा	2221.78	2.50
22.	भलेठ	2220.16	2.50
23.	गवारड़ू	2244.46	2.52
24.	कंजियाण	2253.10	2.53
25.	पटलांदर	2287.12	2.57
26.	ताल	2230.96	2.51
27.	उटपुर	2280.64	2.56

(2) ऊपरलिखित सूची में दिए गए स्थानों के अतिरिक्त परचून मिट्टी तेल विक्रेता वास्तविक वाहन दर या वाहन संघ के दर जो भी कम हों नजदीक के वितरण स्थान के मिट्टी तेल के विक्री दर में जोड़ कर तेल बेचें।

(3) प्रत्येक व्यापारी मिट्टी तेल सीमा मूल्य निर्धारण आदेश, 1970 की धारा 4 के अन्तर्गत अपनी दुकान के प्रवेश द्वार के विशिष्ट स्थान के ऊपर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करेगा :—

(क) तेल का स्टाक व किस्म।

(ख) निर्धारित बिक्री दर समस्त करों सहित।

(4) कोई व्यापारी मिट्टी तेल सीम मूल्या निर्धारण आदेश, 1970 की धारा 5 के अन्तर्गत जिसके मिट्टी तेल है, बेचने से इन्कार नहीं कर सकता है ।

(5) प्रत्येक व्यापारी मिट्टी तेल सीमा मूल्य निर्धारण आदेश, 1970 की धारा 5 के अन्तर्गत मिट्टी तेल का निम्नलिखित प्रपत्र में भरकर स्टाक रजिस्टर रखेगा जिसमें दैनिक क्रय-विक्रय व प्राप्ति का विवरण दर्ज होगा :

दिनांक	प्रारम्भिक स्टाक	आयत	स्रोत का नाम	योग	विक्री स्टाक	बकाया स्टाक
1	2	3	4	5	6	7

(6) समस्त मिट्टी तेल के थोक विक्रेता, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, हमीरपुर को तेल मिट्टी की मासिक रिपोर्ट उपरोक्त दर्शाये गए प्रपत्र में नियमित रूप से भेजेंगे जो प्रत्येक माह की 2 तारीख से पहले पहले इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये।

(7) प्रत्येक थोक बिक्रेता, परचून विक्रेता को मिट्टी तेल की बेची गई मात्रा की रसीद देगा, जिसमें वह अपना, खरीदने वाले का नाम व पता दिनांक सहित उल्लेख करेगा जिसकी प्रति अपने पास निरीक्षण हेतु जांच के समय मांगे जान पर प्रस्तुत करेगा ।

यदि कोई विक्रेता इस आदेश की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध मिट्टी तेल सीमा मूल्य निर्धारण आदेश, 1970 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

आशीष कुमार देव,
जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर।

Office of the Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi, H.P.

ORDER

Mandi, the 19th April, 1985

No. PCN.MND-(A)(1)27/79-1849.—In exercise of the powers vested in me u/s 10(2) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968, read with rule 19(E) of Himachal Pradesh Gram Panchayat Rules, 1971, I, Rajwant Sandhu, Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi hereby accept the resignation of Shri Rattan Lal Thakur, Pradhan, Gram Panchayat, Masoli, Development Block Drang *w.e.f.* 10th March, 1985.

RAJWANT SANDHU,
Deputy Commissioner.

कार्यालय जिलाधीश, सोलन

शुद्धि-पत्र

सोलन, 18 अप्रैल, 1985

संख्या सोलन–13–2(पंच) 84-1175-98.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या सोलन 13–2(पंच) 84–804–1069, दिनांक 8 अप्रैल, 1985 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित आंशिक शुद्धियां की जाती हैं :—

1. विकास खण्ड धर्मपुर की क्रमांक-14 में ग्राम पंचायत का नाम "दाड़ला" के स्थान पर "दाड़वां" पढ़ा जाए ।
2. विकास खण्ड धर्मपुर के क्रमांक–20 में ग्राम पंचायत चामियां की जनसंख्या "1769" के स्थान पर "769" पढ़ा जाये ।
3. विकास खण्ड कण्डाघाट की क्रमांक–22 तथा 23 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतें, क्रमश: "वाकना" तथा "कोट" के नाम इसके आगे दर्ज प्रविष्टियों सहित अधिसूचना से निकाल दिया जाये ।
4. विकास खण्ड नालागढ़ के क्रमांक–49 में ग्राम पंचायत बरुणा की जनसंख्या "2399" के स्थान पर "2389" पढ़ी जाए ।
5. विकास खण्ड कुनिहार के क्रम संख्या–11 में ग्राम पंचायत "दावटी" के सम्बन्ध में अधिसूचना के कोष्ट 5, 6 तथा 7 में 6, 1, 7 के स्थान पर 8, 1, 9 पढ़ा जाये ।

हस्ताक्षरित/-
जिलाधीश, सोलन ।

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 16 अप्रैल, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-32/84.—क्योंकि श्री मन्नु राम, पंच, ग्राम पंचायत कटोह, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन, 26-12-81 से 26-7-84 तक हुई पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये गए हैं ;

और क्योंकि उक्त पंच का ऐसी अवस्था में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत अपने पद पर बने रहना उचित नहीं।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री मन्नु राम, पंच को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटोह के पंच पद से निष्कासित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति से एक माह के भीतर-भीतर इस निदेशालय में जिलाधीश सोलन के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिय अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते ।

शिमला-2, 17 अप्रैल, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-34/81.—क्योंकि श्री बरड़ राम, प्रधान, ग्राम पंचायत त्रिपल, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा जांच करने पर निम्नलिखित कृत्यों के लिए दोषी पाए गए हैं:—

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 13(3) के मुताबिक कार्यवाही न करके नियम व अधिनियम का उल्लंघन करना ।
2. पंचायत की भूमि को फौरेस्ट सहकारी सभा को बिना सरकार व पंचायत की स्वीकृति के देना जबकि पंचायत के सदस्यों ने विरोध किया था । पंचायत की भूमि में बिना दीवार के पिल्लरों को तुड़वा कर पंचायत की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई ।
3. मु0 900, 1000/- रुपये की राशियां अनाधिकृत रूप में अपने पास 1-1/2 वर्ष के लिए रखी और जिसे बार-बार कहने पर भी पंचायत फण्ड में जमा नहीं करवाई । 31-3-80 से 925 रुपये 76 पैसे की राशि नकद शेष अनाधिकृत अपने पास रखना ।
4. (ए) पंचायत के दिनांक 26-3-81 के निर्णय के मुताबिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र भवन की मुरम्मत हेतु मु0 1500/- रुपये की राशि डाकघर से निकलवाने तथा कार्य न करवा कर इस राशि को पुनः जमा करवाना तथा इस तरह पंचायत के निर्णय को न मानना ।

(बी) पाठशाला भवन दरकाटा के लिए 1500/- रुपये, त्रिपल पाठशाला भवन के 1500/- रुपये, अरबत वल्ती पुली के लिए 1500/- रुपये अनुदान की राशि को लेखा पुस्तिका में दर्ज न करके इन राशियों का दुरुपयोग करना ।

(सी) मु0 200/- रुपये पटवारखाना का किराया वसूल करके सम्बन्धित पंचायत के खाते में जमा न करना ।

(डी) अपनी इच्छा से पंचायत को विश्वास में न लेकर पंचायत की राशि को सम्बन्धित डाकघर/बैंक से निकालना व जमा करना, मु0 4700/- रुपये रानीताल डाकघर जिसमें पंचायत का खाता नहीं में जमा करना और 905 रुपये 76 पैसे की राशि अवैध रूप से अपने पास रखना ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री बरड़ राम को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपल के प्रधान पद से निष्कासित किया जावे । उनका इस सम्बन्ध में उत्तर जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से इस विभाग को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायगा कि वे अपने पक्ष में कुछ कहने से असमर्थ हैं तथा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शुद्धि-पत्र

शिमला, 25 अप्रैल, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(4)16/76-XI.—सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 1985 जो कि ग्राम सभा क्षेत्र "हार" के पुनर्गठन के बारे में है में कोष्ट संख्या 3 के नीचे क्रम संख्या 6 तथा 7 के गांव हटा दिये जायें ।

आदेश से,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।